

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2001

का.आ. 301 (अ) — केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 और धारा 46 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, लोकहित में आवश्यक समझते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम 2001 है
 - (ii) ये तुरंत प्रभावी होंगे ।

2 विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम 2000 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है), -

- (क) नियम 4 में नियम 5 के परंतुक में, "या एक्सचेन्ज अर्नर्स फारेन करैंसी (ई ई एफ सी) खाता, " शबदों का लोप किया जाएगा ;
- (ख) नियम 5 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6(1)नियम 4 या नियम 5 की कोई बात, प्रेषक के एक्सचेन्ज अर्नर्र्स फारेन करेंसी (ई ई एफ सी) खाता में धारित निधियों में से आहरण को लागू नहीं होगी । (2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन अधिरोपित निर्बधनों वहां लागू रहेंगी, जहां एक्सचेन्ज अर्नरर्स फारेन करैंसी (ई ई एफ सी) खाते से आहरण को यथास्थिती अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची 3 की मद 3,4,11,16 और 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है।

(ग) उक्त नियम की अनुसूची 2 में मद संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखत रखा जाएगा, अर्थात :-

"2. किसी राज्य सरकार या लोक सैक्टर उपक्रमों वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग"। द्वारा पर्यटन, विदेशी विनिधान और अंतरराष्ट्रीय बोली(10,000 अमरीकी डालर) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन "

(घ) उक्त नियमों की अनुसूची 3 में, -

(क) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

" प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक/दाता 5,000 अमरीकी डालर से अधिक का दान प्रेषण"।

(ख) मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-" प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक/दाता 5,000 अमरीकी डालर से अधिक का संदान ।"

(ग) मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"7. विदेश में रह रहे निकट नातेवारों के भरण पोषण के लिए प्रेषण,

(i)किसी व्यक्ति के, जो निवासी है किन्तु भारत में स्थायी तौर पर निवासी नहीं है और पाकिस्तान से भिन्न किसी दूसरे देश का नागरिक है, शुद्ध वेतन से अधिक ।

(ii) सभी अन्य मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता 5,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष से अधिक ।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के अपने नियोजन के मद्दे (उसकी लंबाई पर ध्यान दिए बिना) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए या कर्त्तव्यभार के लिए भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है, निवासी है किन्तु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है";

(घ) मद 10 में "30,000 अमरीकी डालर" अंकों और शब्दों के पश्चात् "प्रति शैक्षणिक वर्ष" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; (ड) मद 15 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

" 15. भारत के बाहर से उपाप्त किसी परामर्शी सेवा के लिए प्रति योजना 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक का प्रेषण"

(च) मद 16 के पश्चात निम्नलिखित मद अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"17 . पूर्व निगमन व्यय के संवितरण के द्वारा भारत में किसी सत्ता द्वारा 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक का प्रेषण"

[फा. सं. 1/5/ईमी/2000]

अशोक लवासा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs) . NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2001

S.O. 301(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 and subsection (1) and Clause (a) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in consultation with the Reserve Bank, the Central Government having considered it necessary in the public interest, makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000, namely :-

- (i) These Rules may be called the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules, 2001
 (ii) They shall some inte former it is a first former it.
 - (ii) They shall come into force with immediate effect.

2. In the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000, (hereinafter referred to as "the said Rules"),

- (A) In rule 4 and rule 5, in the proviso, the words "or Exchange Earners' Foreign Currency (EEFC) account," shall be deleted;
- (B) After rule 5, the following rule shall be inserted, namely:-
 - " 6(1) Nothing contained in rule 4 or rule 5 shall apply to drawal made out of funds held in Exchange Earners' Foreign Currency (EEFC) account of the remitter.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), restrictions imposed under rule 4 or rule 5 shall continue to apply where the drawal of foreign exchange from the Exchange Earners' Foreign Currency (EEFC) account is for the purpose specified in items 10 and 11 of Schedule II, or items 3,4,11,16 and 17 of Schedule III as the case may be.

(C) In Schedule II to the said rules, for item No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :-

3

"2. Advertisement in foreign print media Ministry for the purposes other than promotion of Departme tourism, foreign investments and Affairs". international bidding (exceeding US\$ 10,000) by a State Government and its Public Sector Undertakings.

Ministry of Finance, Department of Economic Affairs".

(D) In Schedule III to the said Rules,-

(a) for item 3, the following item shall be substituted, namely :-

"3. Gift remittance exceeding US\$ 5,000 per remitter/donor per annum".

(b) for item 4, the following item shall be substituted, namely:-

"4. Donation exceeding US\$ 5,000 per remitter/donor per annum."

(c) for item 7, the following item shall be substituted, namely :-

- "7. Remittance for maintenance of close relatives abroad,
 - (i) exceeding net salary (after deduction of taxes, contribution to provident fund and other deductions) of a person who is resident but not permanently resident in India and is a citizen of a foreign state other than Pakistan.
 - (ii) Exceeding US\$ 5,000 per year per recipient, in all other cases.

Explanation : For the purpose of this item, a person resident in India on account of his employment of a specified duration (irrespective of length thereof) or for a specific job or assignment, the duration of which does not exceed three years, is a resident but not permanently resident";

- (d) In Item 10, after the letters and figures "US\$ 30,000", the words "per academic year" shall be inserted;
- (e) For item 15, the following item shall be substituted, namely;
- "15. Remittance exceeding US\$ 100,000, per project, for any consultancy service procured from outside India,";
- (f) after item 16, the following item shall be inserted, namely :-

"17. Remittance exceeding US\$ 100,000, by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses."

[F, No. 1/5/EC/2000]

ASHOK LAVASA, Jt. Secy.